

30/7/24

पताचि पेश हई वडील वडी  
अथवा वडी की ओर से कोई  
आश्वासन नहीं है। बार-बार  
आवाज पताचि गई। वावजूद  
आवाज के भी कोई आश्वासन  
नहीं है। अतः वडी का वादपत्र  
अहम पैरवी के एवरीज किया जाए।

सहायक न्यायिक अधिकारी  
लालसोती जिला न्यायालय

